राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S. B. Criminal Writ Petition No. 386/2017

14.5.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री अजय कुमार जैन
लोक अभियोजक श्री प्रशान्त शर्मा।

प्रकरण को शीघ्र सूचीबद्ध किए जाने के क्रम में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या **27740/2019** पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं योग्य अधिवक्ता द्वारा किए गये निवेदन की रोशनी में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक **16.4.2019** की पालना में मामले के पूर्ववर्ती अनुसंधान अधिकारी **श्री पियूष दीक्षित,** अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल स्टोर्स उपस्थित है। जिन्होंने प्रकट किया कि इस मामले में उनके द्वारा अनुसंधान पूर्ण किया जाकर रिपोर्ट महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है तथा अनुसंधान के पश्चात् बिन्दू संख्या 1 लगायत 6 के क्रम में डी.डी.आर. व डी.डी.पी. से राय लिया जाना शेष है तथा उनसे राय प्राप्त करने के पश्चात् ही सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्देश प्राप्त किए जाकर कार्यवाही की जानी थी। उनका कथन रहा कि उनका अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरण हो चुका है तथा अब मामला वर्तमान अनुसंधान के पास लम्बित है। अतः सम्बन्धित अधिकारीगण, जिनके द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना है, से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब किया जाना उचित है।

योग्य अधिवक्ता श्री अजय कुमार जैन को उक्त रिपोर्ट तलब कर पेश किए जाने में आपत्ति नहीं हैं।

अतः विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्यात्मक स्थिति न्यायालय के समक्ष पेश करें।

प्रकरण जुलाई, 2019 के अंतिम सप्ताह में सूचीबद्ध हो।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

जेएसपंवार / 83